32

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 157/2016

दायर दिनांक–05.07.2016

1 सुरजभान पुत्र भींवाराम उर्फ भींवा जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़।

– वादी

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र भींवाराम उर्फ भींवा
2. हरफूल पुत्र भींवाराम उर्फ भींवा
3. त्रिलोकचंद पुत्र भींवाराम उर्फ भींवा
4. रामचंद्र पुत्र भींवाराम उर्फ भींवा (मृतक)
5. राजेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र भींवाराम उर्फ भींवा समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़।
6. मैनेजर एस0बी0बी0जे0 नवलगढ़।
7. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
8. उप पंजीयक नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दीपेन्द्र जाखड़
वकील प्रतिवादी :– श्री सुरेश सीगड़

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व
स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 738 रकबा 0.70 है0 भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है तथा भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 1.54 है0 भूमि मे वादी का 1/54 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/54 हिस्सा है तथा ग्राम खेदड़ों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.0500 है0 खसरा नम्बर 831 रकबा 0.1800 है0 भूमि में वादी का 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/54 हिस्सा है। इसी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व हक अधिकार है। उक्त भूमि पैत्रिक है जो वादी के पिता भींवाराम उर्फ भींवा पुत्र नथू से विरासत में मिली है। वाद पत्र की धारा 1 मे दर्ज भूमि के अलावा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की अन्य पैत्रिक भूमि का रिकॉर्ड वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के नाम सही बना हुआ है जिसका कोई विवाद नही है। वाद पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सैटलमेंट से पहले तक वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के पिता भींवा पुत्र नथू के नाम सही दर्ज था लेकिन सैटलमेंट अधिकारीयों ने उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था।

उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता भीवाराम उर्फ भींवा पुत्र नथू के नाम दर्ज थी लेकिन भींवाराम की मृत्यु होने पर व दौराने सैटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने बिना उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को सुचना दिये बाला बाला भींवाराम की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नं0 1 के नाम विधि विरूद्व तरीके से दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करना चाहता है इसलिए घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 738 रकबा 0.70 है0 भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्से का, भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 1.54 है0 भूमि मे वादी का 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/54 हिस्से का तथा ग्राम खेदड़ों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.0500 है0 खसरा नम्बर 831 रकबा 0.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

1800 है0 भूमि में वादी का 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि का अन्यत्र विक्रय/हस्तांतरण नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी न तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करवायें। प्रतिवादी संख्या 8 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि बाबत प्रतिवादी नं0 1 द्वारा विक्रय व हस्तांतरण दस्तावेज तस्दीक नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड़ उप0। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश नही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी सुरजभान का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी की ओर से शहदात प्रतिवादी हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70, प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–72 प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2016–19 प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–26 प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2035–37 प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 43 आधार वर्ष प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2048–51 प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी सम्वत् 2052–55 प्रदर्श–11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–59 प्रदर्श–12 नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–59 प्रदर्श–13 नकल जमाबंदी सम्वत् 2060–63 प्रदर्श 14 नकल नामांतकरण संख्या 360 आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रिक भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड भींवाराम उर्फ भींवा पुत्र नथू के नाम से दर्ज रिकॉर्ड था जिसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 5 है परन्तु सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से बिना किसी विधिक आदेश के उक्त भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी जबकि भींवाराम उर्फ भींवा के शेष वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के नाम दर्ज नही की। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 को भींवाराम उर्फ भींवा की भूमि मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 738 रकबा 0.70 है0 में वादी को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का तथा भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 1.54 है0 भूमि मे वादी को 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/54 हिस्से का तथा ग्राम खेदड़ों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.1800 है0 भूमि में वादी को 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी संख्या 1 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र विक्रय/हस्तांतरण नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी नही करें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 8 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के बाबत प्रतिवादी नं0 1 द्वारा विक्रय/हस्तांतरण दस्तावेज तस्दीक नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/24

(हवाई प्रिंस यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

34

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 157 / 2016 **(सुरजभान बनाम नेमीचंद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 738 रकबा 0.70 है0 में वादी को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का तथा भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 1.54 है0 भूमि मे वादी को 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/54 हिस्से का तथा ग्राम खेदड़ों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.1800 है0 भूमि में वादी को 1/54 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी संख्या 1 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र विक्रय/हस्तांतरण नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी नही करें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 8 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के बाबत प्रतिवादी नं0 1 द्वारा विक्रय/हस्तांतरण दस्तावेज तस्दीक नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

28/06/24
हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) नवलगढ
मोहर
सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00